

## अध्याय 3

### स्वदेशी कोयले की खरीद

मुख्यतः स्वदेशी कोयले की खरीद एनटीपीसी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगारेनी कालियरीज़ कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) की सहायक कम्पनियों से दीर्घ कालिक कोयला संयोजन के माध्यम से की जाती है। किसी भी कमी को समझौता जापन (एमओयू) या कोयले की ई-नीलामी के माध्यम से स्वदेशी खरीद तथा आयात द्वारा पूर्ण किया जाता है। कोयला सीआईएल/एससीसीएल द्वारा घोषित दरों पर दीर्घकालिक संयोजन के माध्यम से खरीदा जाता है। अन्य सभी खरीद के लिये (एमओयू, ई-नीलामी और आयात), दरें अधिक होती हैं।

लेखापरीक्षा ने स्वदेशी और आयातित स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति की जांच की। स्वदेशी कोयले की खरीद के संबंध में अवलोकनों को इस अध्याय में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है जबकि आयातित कोयले से संबंधित अवलोकन अध्याय 4 में दिये गये हैं।

#### 3.1 ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

विद्युत स्टेशनों के लिये कोयला संयोजन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सिफारिश और कोयला कम्पनियों और उत्पादक से प्राप्त इनपुट के आधार पर कोयला मंत्रालय (एमओसी) की स्थाई संयोजन समिति (दीर्घकालिक) (एसएलसी-एलटी) द्वारा स्वीकृत किया गया था। कोयला मंत्रालय ने पावर स्टेशनों सहित, कोयला उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को कोयले के वितरण हेतु नीतिगत ढांचे की रूपरेखा, दर्शाते हुए अक्टूबर 2007 में नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) अधिसूचित की। कोयला कम्पनियों और कोयले के उपभोक्ताओं के बीच ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) का निष्पादन एनसीडीपी के अंतर्गत अनिवार्य हो गया था। एफएसए अनुबंधित मात्रा, आपूर्ति किये जाने वाले कोयले की गुणवत्ता, कोयले की गुणवत्ता की जांच करने हेतु पद्धति, आपूर्ति का स्रोत, वाणिज्यिक शर्तें आदि से संबंधित शर्तें निर्धारित करता है। एफएसए को दो संस्करण हस्ताक्षरित किये गये थे, एक 31 मार्च 2009 से पूर्व शुरू हुये स्टेशनों के लिये (एनसीडीपी के अंतर्गत मौजूदा उपभोक्ताओं के रूप में माने गए) और दूसरा, 31 मार्च 2009 के बाद शुरू स्टेशनों हेतु (एनसीडीपी के अंतर्गत नये उपभोक्ता के रूप में चिन्हित)।

एफएसएज के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति के लिये दरें सीएलआई द्वारा अधिसूचित की गई थी। कोयले की अतिरिक्त मात्रा (एफएसए मात्रा के अतिरिक्त) पावर स्टेशनों को अधिसूचित दरों से 40 प्रतिशत अधिक पर तय उच्च दर पर उपलब्ध होगी। लेखापरीक्षा ने एफएसएज के क्रियान्वयन में ऐसी कमियां देखी, जो कि एनटीपीसी के पावर स्टेशनों के लिए हानि कारक थी।

### 3.1.1 अपर्याप्त ईंधन संयोजन वाले स्टेशन

कम्पनी के पास अपने कोयला प्रज्ज्वलित पावर स्टेशनों हेतु (मार्च 2016) 34 एफएसए थे (31 मार्च 2009 से पूर्व शुरू स्टेशनों के लिये 21 और 31 मार्च 2009 के बाद शुरू स्टेशनों के लिये 13) इन एफएसए के अंतर्गत कुल वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) 164.17 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियम टन) थी। पावर स्टेशनों में कोयले के संयोजनों की पर्याप्तता की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित का पता चला:

#### 3.1.1.1 बाढ़-II पावर स्टेशन

बाढ़-II (2 x 660 मे.वा.) की कोयला आवश्यकता कम्पनी को आबंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से पूर्ण की जानी थी, लेकिन इन कोयले की खानों से उत्पादन विलम्ब से हुआ था। यद्यपि बाढ़-II की पहली इकाई की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) जनवरी 2013 में थी, कम्पनी ने अप्रैल 2013 में बाढ़-II हेतु टैपरिंग लिंकेज<sup>7</sup> से संबंधित मामला उठाया। सितम्बर 2015 में, कोयला मंत्रालय ने टैपरिंग लिंकेज से संबंधित निर्णय लिये जाने तक, विशेष मामले के रूप में, अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। कोयले की आपूर्ति हेतु दो एमओयूज अक्टूबर और नवम्बर 2015 में हस्ताक्षरित किये गये थे।

बाढ़-II की पहली इकाई 15 नवम्बर 2014 को शुरू की गई थी और नवम्बर 2014 से नवम्बर 2015 तक की अवधि के लिये, कम्पनी ने स्टेशन को चलाने हेतु ई-नीलामी तथा आयातित कोयले जैसे महंगे स्रोतों का उपयोग किया, जिससे ₹ 527.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2009 से पहले शुरू किए गए अन्य स्टेशनों के लिये कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित एफएसएज में कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से स्वाधिकृत स्टेशनों के बीच कोयले के अंतरण की अनुमति थी। लेकिन यह प्रावधान बाढ़-II

<sup>7</sup> टैपरिंग लिंकेज लघुकालिक लिंकेज है जो उन कोयला उपभोक्ताओं को दिया जाता है जिन्हें उनके लिंक किये गये अंतिम उपयोग संयंत्र की कोयला आवश्यकता पूर्ण करने के लिए कैप्टिव कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं जहां इन ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकताओं के साथ समानुक्रमित नहीं होता।

की कोयला आवश्यकता पूर्ण करने के लिये लागू नहीं किया गया था। यहां तक की कोयला यार्ड की शुरूआती कार्पेटिंग<sup>8</sup> ₹ 5.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करके महंगे कोयले के उपयोग से की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि यह प्रथम मामला था जब सुपर क्रिटिकल टेक्नालाजी आधारित 660 एम डब्ल्यू थर्मल विद्युत संयंत्र एक भारतीय कंपनी (भेल) द्वारा संस्थापित किया जा रहा था, तथा परियोजना के निष्पादन के समय ऐसा प्रतीत हुआ कि स्टेशन पर विभिन्न जटिल तकनीकी कठिनाईयों के कारण इकाई को वास्तविक तौर पर शुरू करने में ज्यादा समय लग सकता है। अंत-संयंत्र अंतरण के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि यह बाढ़-1 तथा नए एफएसए<sup>9</sup> के तहत आने वाले स्टेशनों के लिए संभव नहीं था। मंत्रालय ने आगे कहा कि एनटीपीसी ने अप्रैल 2013 में बाढ़-1 को कोल लिंकेज टेपरिंग करने के लिए एमओसी से अनुरोध किया था तथा एक विशेष मामले के रूप में एमओसी ने टेपरिंग कोयला लिंकेज प्रदान किए जाने तक अधिसूचित मूल्यों पर एमओयू पर सहमति जताई थी (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि स्टेशन ने ब्रिज लिंकेज (पूर्व में टेपरिंग लिंकेज के रूप में संदर्भित) हेतु मार्च 2016 में अनुमोदन प्राप्त किया तथा आपूर्ति हेतु कोयला कंपनियों के साथ एमओयूज अगस्त 2016 में हस्ताक्षरित किए गए।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि ईंधन हेतु करार परियोजना कार्यान्वयन के लिए पूर्व आवश्यकताओं में से एक था। अतः कंपनी को टेपरिंग/ ब्रिज लिंकेज प्राप्त करने के लिए समय पर कार्यवाई कनी चाहिए थी अथवा पुराने एफएसएज के अंतर्गत अनुमत अंत-संयंत्र भंडारण पर विचार करना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बाढ़-1 के लिए ब्रिज लिंकेज आपूर्तियों हेतु कंपनी ने कोयला कंपनी द्वारा माँगी गई कोयला कीमतों को स्वीकार किया है, जो कि अधिसूचित दरों<sup>10</sup> से 10 प्रतिशत अधिक थीं यद्यपि 'लिंकेज' अंतर्गत आपूर्ति किए गए कोयले के लिए अधिसूचित दरें उपलब्ध थीं। कंपनी द्वारा स्वीकृत उच्चतर कीमतों (अगस्त 2016) से स्टेशन के ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि होगी।

### 3.1.1.2 कहलगांव-1 पावर स्टेशन

31 मार्च 2009 को मौजूदा पावर स्टेशनों को सीईए की सिफारिश के अनुसार कोयला लिंकेज (वार्षिक अनुबंधित मात्रा-एसीक्यू) दिये गये थे। फरक्का (1600 मे.वा.) और कहलगांव-1 (840

<sup>8</sup> यह कंप्रेसड कोयले की परत है, जो यार्ड में कालीन की तरह कार्य करने के लिये बिछी होती है जिसके ऊपर बाद में कोयले का ढेर रखा जाता है।

<sup>9</sup> इस एफएसए के अनुसार, केप्टिव कोयला ब्लॉकों से जुड़े संयंत्रों हेतु विपथन अनुमत नहीं था।

<sup>10</sup> उच्चतर ग्रेड कोयले (जी 5 ग्रेड तक तथा डब्ल्यूसीएल कोयला) को छोड़कर।

मे.वा.) के मामले में, सीईए ने 22.94 एमटीपीए की आवश्यकता के प्रति 15 एमटीपीए के संयुक्त एसीक्यू की सिफारिश की (अप्रैल 2009)। कम लिंकेज का कारण सीआईएल द्वारा बताई गई रेलवे लॉजिस्टिक्स में बाधाओं और लिंक की गई खानों से उत्पादन में विलम्ब था। कहलगांव-II (2 x 500 मे.वा.) की दो इकाईयों के मामले में, सीईए ने कहा (जून 2009) कि इन इकाईयों के लिये एसीक्यू की अलग सिफारिश तब की जाएगी जब और जैसे लिंक की गई खानों से अतिरिक्त कोयला उपलब्ध हो या रेलवे द्वारा अतिरिक्त कोयले का आवागमन संभव हो। तथापि, सीआईएल ने फरक्का, कहलगांव-I और कहलगांव-II की कोयला आवश्यकताओं को संयोजित किया और कम्पनी ने सभी तीन स्टेशनों हेतु 15 एमटीपीए के लिये एफएसए हस्ताक्षरित किया (अगस्त/सितम्बर 2011)। यद्यपि एनटीपीसी ने सीईए, सीआईएल/कोयला मंत्रालय दोनों के समक्ष मामला प्रस्तुत किया, परन्तु वह इन तीन स्टेशनों हेतु कोयले के आबंटन को बढ़ाने में सफल नहीं हो सका। अंत में, कोयला मंत्रालय ने एनटीपीसी को सूचित किया (मार्च 2014) कि मामले पर उस समय निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वास्तव में कोयला कम्पनियों ने एसीक्यू से अधिक आपूर्ति की थी लेकिन निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) की लागू दरों अर्थात् अधिसूचित दरों से 40 प्रतिशत अधिक पर मांग की थी, जो एसीक्यू के अतिरिक्त आपूर्ति हेतु देय उच्चतम स्लैब दर थी। स्टेशन ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान अधिसूचित दरों से 40 प्रतिशत अधिक पर एसीक्यू से ज्यादा कोयला आपूर्ति पर ₹ 476.14 करोड़ पीआई का भुगतान किया।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एसीक्यू बढ़ाने का अनुरोध सीआईएल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और उसके पास 15 एमटीपीए के एसीक्यू हेतु इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एफएसए हस्ताक्षरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह भी कहा गया कि एनटीपीसी ने एसीक्यू पर अंतिम निर्णय लेने के साथ एसीक्यू में उर्ध्वमुखी संशोधन हेतु विभिन्न स्तरों पर मामलों को निरंतर उठाया लेकिन सफल नहीं हुआ। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जुलाई 2016 में एनटीपीसी तथा सीआईएल के बीच वार्ता में सीआईएल एफएसए नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत कहलगाँव को 3.69 मिलियन अतिरिक्त एमटीपीए आपूर्ति करने पर सहमत हुआ है।

मंत्रालय के उत्तर से यह पता चलता है कि एफएसए दरों पर अतिरिक्त आपूर्ति पर सहमति हो गयी है जिसके कार्यान्वयन पर आगामी लेखा परीक्षा में निगरानी की जाएगी। किंतु चार वर्षों (2012-13 से 2015-16) हेतु 1000 मेवा क्षमता वाली कहलगाँव-II स्टेशन को दो

इकाईयों को पूरी तरह महँगे ईंधन स्रोत पर प्रचालित करने के कारण स्टेशन की ईंधन लागत बढ़ गई जिसे विद्युत टैरिफ द्वारा ग्राहकों पर हस्तांतरित कर दिया गया।

### 3.1.1.3 रामागुंडम III पावर स्टेशन

रामागुंडम-III की कोयला आवश्यकता पूर्ण करने के लिये, कोयला मंत्रालय (एमओसी) की स्थाई संयोजन समिति (दीर्घकालिक) ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) से 2.5 एमटीपीए का लिंकेज प्रस्तावित किया (सितम्बर 1998)। बाद में, एमओसी ने सितम्बर 1999 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) से 2.5 एमटीपीए के कोयला लिंकेज हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी। तथापि एनटीपीसी ने 25 मार्च 2005 को इकाई शुरू होने से पूर्व डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल के साथ 2.5 एमटीपीए के कोयला लिंकेज के लिये एफएसए हस्ताक्षरित नहीं किया।

अक्टूबर 2007 में नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) यह बताते हुये अधिसूचित की गई थी कि अधिसूचित मूल्य पर कोयला एफएसए हस्ताक्षरित होने पर ही उपलब्ध होगा। एनटीपीसी ने 1 एमटीपीए (प्रत्येक एसीक्यू 0.5 एमटीपीए) की एसीक्यू की आपूर्ति हेतु एसईसीएल (26 जुलाई 2011) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) (15 जुलाई 2011) के साथ एफएसएज हस्ताक्षरित किये। 2.5 एमटीपीए की आवश्यकता के प्रति, एफएसएज ने 1 एमटीपीए कोयला सुनिश्चित किया क्योंकि सीआईएल ने अधिक आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। परिणामस्वरूप, एनटीपीसी ने 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान महंगे स्रोतों (एमओयू तथा ई-नीलामी) के माध्यम से कोयले की खरीद के कारण ₹ 1474.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एफएसए के अंतर्गत कोयला आपूर्ति अक्टूबर 2007 में नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के शुरू होने के बाद ही अनिवार्य हुई थी तथा तब तक समय-समय पर तिमाही आधार पर कोयला लिंकेज को अनुमोदित करने के लिए स्थायी लिंकेज समिति लघु अवधि (एसएलसी-एसटी) का प्रयोग किया गया। मंत्रालय ने आगे कहा कि एसईसीएल और एमसीएल खानों स्टेशन से काफी दूर स्थित थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि एमसीएल तथा एसईसीएल से एसीक्यू नए अंत-मंत्रालयीन टास्क फोर्स (आईएमटीएफ) की सिफारिशों के अनुसार 21 जनवरी 2016 को सिंगारेनी कालियरीज़ कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा तत्पश्चात् एनटीपीसी ने अनुमोदित लिंकेज के अनुसार रामागुंडम हेतु एसीक्यू संशोधित करने हेतु एससीसीएल को अनुरोध किया है (मार्च 2016)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एफएसए प्रणाली एनसीडीपी से भी पहले विद्यमान थी। वर्तमान मामले में एनटीपीसी डब्ल्यूसीएल अथवा एसईसीएल के साथ एफएसए हस्ताक्षरित करने में विफल रहा, जब मार्च 2005 में इकाई शुरू होने से काफी पहले (सितंबर 1999) में उसके पास कोयला मंत्रालय की स्वीकृति थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी को दूरस्थ खानों से आपूर्ति हेतु एफएसए हस्ताक्षरित करना पड़ा तथा कम एसीक्यू के लिये सहमत होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ।

### 3.1.2 मौदा एफएसए के लिये अधिक लागत आधार पर किया गया कोयला मूल्य निर्धारण।

मौदा स्टेशन को चरण-I की इकाई II के लिये डब्ल्यूसीएल खानों से 1.78 एमटीपीए का कोयला लिक्वैज प्राप्त हुआ (21 जून 2010)। एफएसए सितम्बर 2013 में स्टेशन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। एफएसए के क्रियान्वयन के समय डब्ल्यूसीएल ने कहा कि वो अधिसूचित दरों पर कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था और 'अधिक लागत आधार' पर कोयले की पेशकश की। अधिक लागत करार के अंतर्गत आपूर्तित कोयला अधिसूचित दरों से महंगा था। अधिक लागत आधार पर एक अन्य एफएसए के निष्पादन का शुरुआत में कम्पनी द्वारा विरोध किया गया लेकिन अंततः 30 अगस्त 2013 को आयोजित समीक्षा बैठक में सहमति व्यक्त की तथा 0.6 एमटीपीए के लिये अधिक लागत एफएसए जनवरी 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनसीडीपी बिजली कम्पनियों के लिये सीआईएल द्वारा घोषित/अधिसूचित दरों पर कोयले की आपूर्ति उल्लिखित करती है और अधिक लागत आधार पर कोयले की आपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, कम्पनी की अधिक लागत मूल्य की स्वीकृति एनसीडीपी के अनुरूप नहीं थी और परिणामस्वरूप फरवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान ₹ 31.11 करोड़<sup>11</sup> की अतिरिक्त ईंधन लागत हुई थी।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि 21.6.2010 को डब्ल्यूसीएल द्वारा जारी आश्वासन पत्र (एलओए) में व्यवस्था थी कि यदि अधिदेशित आवश्यकता की मात्रा अलग से खान खोलने की आवश्यकता पर बल देती है, तो कोयला यथा सूचित कीमत पर औचित्यपूर्ण प्राप्ति सहित उच्चतर लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि चूँकी डब्ल्यूसीएल में अधिसूचित मूल्यों पर आपूर्ति हेतु कोयला मात्रा उपलब्ध नहीं थी, अतः नई माजरी खानों को

<sup>11</sup> कम्पनी द्वारा सहमत किया गया लागत अधिक मूल्य ₹ 1926.62 प्रति टन था, जबकि अधिसूचित मूल्य ₹ 1070 प्रति टन था (जी 9 ग्रेड)। सुपुर्द की गई मात्रा 3,63,213.55 टन थी। अतः अतिरिक्त लागत ₹ 31.11 करोड़ के बराबर है (₹1926.62-₹1070\*3,63,213.55)

चिन्हित किया गया था जिनसे एलओए के अनुसार मौदा इकाई 2 को लागत अधिक कोयला आपूर्ति की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि माडल एफएसए 2012 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अधिसूचित कीमत पर एफएसए हस्ताक्षरित करने के लिए डब्ल्यूसीएल/सीआईएल/एमओपी/एमओसी के साथ मामला उठाया गया था। तथापि, एमओसी ने, दिनांक 2 सितम्बर 2013 के पत्र के माध्यम से एमओपी को बताया कि डब्ल्यूसीएल केवल अधिक लागत वाली खानों से कोयले की आपूर्ति कर सकता है और एमओपी से डब्ल्यूसीएल के साथ अधिक लागत एफएसए हस्ताक्षरित करने के लिये एनटीपीसी को सलाह देने का अनुरोध किया। एनटीपीसी के पास निर्देशानुसार, डब्ल्यूसीएल के साथ अधिक लागत एफएसए हस्ताक्षरित करने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिये कि दिनांक 30 अप्रैल 2002 को अपनी बैठक में स्थाई संयोजन समिति दीर्घकालिक ने निर्णय लिया कि अधिक लागत मूल्य निर्धारण का केवल उन्ही मामलों में प्रयोग किया जायेगा जहां उपभोक्ता की किसी विशेष खान से आपूर्ति की मांग हो। क्योंकि वर्तमान मामले में एनटीपीसी ने विशेष खान से आपूर्ति नहीं मांगी है, अतः एनटीपीसी को अधिक लागत मूल्यनिर्धारण के लिये सहमत नहीं होना चाहिये था। इसके अलावा एनसीडीपी ने मात्र अधिसूचित दरों पर कोयले की आपूर्ति हेतु व्यवस्था दी थी तथा उसमें कोयले हेतु अधिक लागत आधार पर मूल्यांकन परिकल्पित नहीं है।

### 3.1.3 ईंधन आपूर्ति करार हस्ताक्षरित करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त ईंधन लागत

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा नमूना में पाँच स्टेशनों द्वारा एफएसए पर हस्ताक्षर करने तथा इकाईयों के वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बीच काफी समय अंतराल थे। इनमें से दो स्टेशन अर्थात् फरक्का तथा कोरबा ने कोयला कंपनियों के साथ एसओयू किया किंतु एमओयू मात्रा स्टेशन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये स्टेशन पुरानी इकाईयों के वर्तमान एफएसए के अंतर्गत 'निष्पादन प्रोत्साहन' उपबंध के अधीन कोयला अधिप्राप्त करने हेतु बाध्य हुए जिससे अतिरिक्त ईंधन लागत हुई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका-3.1: एफएसए हस्ताक्षरित करने में विलंब के कारण भुगतान किया गया निष्पादन प्रोत्साहन

स्टेशन का नाम	इकाई का विवरण			पुराने एफएसए के प्रति नई इकाईयों हेतु अधिप्राप्त कोयला (टन में)	सीओडी से एफएसए हस्ताक्षरित होने तक की अवधि के दौरान नई इकाईयों हेतु भुगतान किया गया पीआई (करोड़ ₹ में)
	वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (प्रथम इकाई)	एफएसए की तिथि	एफएसए हस्ताक्षरित करने में विलंब (महीनें)		
फरक्का-III	01.04.2012	11.7.2013	15	1280471	90.74
कोरबा-III	20.03.2011	17.07.2013	27	2366031	7.51
विन्ध्यांचल-IV	01.03.2013	02.09.2013	6	931649	19.24
रिहंद-III	19.11.2012	02.09.2013	10	1685772	37.35
सीपत-I	25.05.2012	01.09.2013	16	6425236	168.53
<b>कुल</b>					<b>323.37</b>

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एमओयू हस्ताक्षरित करने में विलम्ब सीआईएल सहायक कम्पनी की ओर से था। यह भी कहा गया कि मॉडल एफएसए सीआईएल के पक्ष में कई एक तरफा प्रावधानों के साथ, अप्रैल 2012 में सीआईएल द्वारा उपलब्ध कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक बैठकें और परिणामतः अत्यधिक विलम्ब हुआ। मंत्रालय ने आगे कहा कि एफएसए पर हस्ताक्षर करने से पहले सीआईएल के साथ वार्ता में लिया गया समय विलंब न माना जाए क्योंकि एनटीपीसी ने मात्र ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की।

यहां इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि एफएसए हस्ताक्षरित करने में विलम्ब के कारण प्रोत्साहन देकर कोयले प्राप्त करने हेतु स्टेशनों को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा जो अंततः उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित हुआ। इसके अलावा, लंबी वार्ताओं से वाणिज्यिक रूप में महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नहीं हुई है।

### 3.1.4 एफएसए के अंतर्गत दिया गया निष्पादन प्रोत्साहन

एफएसए में वाणिज्यिक शर्तें, कम्पनी और सीआईएल के बीच बातचीत के बाद शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि पावर स्टेशनों द्वारा निष्पादन प्रोत्साहन के भुगतान हेतु शर्तें कम्पनी का अहित करते हुए एनसीडीपी की उपेक्षा करते हुये स्वीकृत की गई थी जैसा कि आगामी उप-पैराओं में चर्चा की गई है।



### 3.1.4.1 एसीक्यू के परिक्षेत्र में सीमित मात्रा हेतु निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान

एनसीडीपी के अनुसार, उपभोक्ताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार सीआईएल द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले तय मूल्य पर एफएसए के माध्यम से कोयले की आपूर्ति हेतु 100 प्रतिशत मात्रा मानी जायेगी। तथापि, कम्पनी एसीक्यू के 90 प्रतिशत से ऊपर (एसीक्यू की 90 और 95 प्रतिशत के बीच आपूर्ति हेतु 10 प्रतिशत निष्पादन प्रोत्साहन और एसीक्यू की 95 और 100 प्रतिशत के बीच आपूर्ति हेतु 20 प्रतिशत निष्पादन प्रोत्साहन) की आपूर्तियों हेतु निष्पादन प्रोत्साहन देने के लिये सहमत हुई। जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में जांच किये गये स्टेशनों के लिये ईंधन लागत बढ़ी। 10 स्टेशनों<sup>12</sup> के मामले में एसीक्यू के भीतर प्रदत्त प्रोत्साहन ₹ 558.00 करोड़ था (2010-11 से 2015-16)

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एनसीडीपी कोयले की आपूर्ति हेतु मूल्य घोषित/अधिसूचित करने के लिये सीआईएल को अधिकृत करता है; तथा 8 अप्रैल 2009 को सीईए, सीआईएल, एनटीपीसी तथा अन्य विद्युत इकाईयों के बीच वार्ता में यह सूचित किया गया कि कोयले की कमी के परिदृश्य में, कंपनियों को प्रोत्साहन प्रावधान से अधिक कोयला का उत्पादन करने हेतु प्रेरणा मिलेगी। केवल 100 प्रतिशत से अधिक एसीक्यू की आपूर्ति हेतु लागू निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) के कारण उच्चतर मूल्य अधिसूचित हो सकते थे तथा ऐसी स्थिति में, 80 प्रतिशत एसीक्यू से कम आपूर्ति किये गये कोयले से भी ईंधन प्रभार में वृद्धि होती। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह सीईए, सीआईएल तथा एनटीपीसी सहित विद्युत इकाईयों का इकट्ठा निर्णय था तथा मात्र एनटीपीसी द्वारा सहमत प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि एनटीपीसी ने केवल एसीक्यू के 95 प्रतिशत (केवल 10 प्रतिशत दर पर) से अधिक आपूर्ति हेतु पीआई के लिये सीआईएल के समक्ष मामले को उठाया है और सीआईएल/ईसीएल ने अब जी5 ग्रेड और ऊपर के कोयले हेतु पीआई हटा दिया है।

उत्तर पुष्टि करता है कि एनटीपीसी द्वारा सहमत एफएसए की वाणिज्यिक शर्तें एनसीडीपी द्वारा निर्दिष्ट दरों से अधिक थी। चूँकि एनसीडीपी कोल लिंकेज हेतु अति महत्वपूर्ण रूपरेखा है, एनटीपीसी को विशेष रूप से इसके क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिये था, क्योंकि तय किये गये एफएसए में सहमत प्रोत्साहन कम्पनी के हित में नहीं थे।

<sup>12</sup> दादरी (₹1.85 करोड़), विन्ध्यांचल (₹130.18 करोड़), तलचर (₹15.14 करोड़), सीपत (₹27.76 करोड़), रिहंद (₹60.85 करोड़), फरक्का (₹42.70 करोड़), कोरबा (₹63.72 करोड़), रामागुंडम (₹150.88 करोड़), बदरपुर (₹4.28 करोड़) और कहलगाँव (₹60.64 करोड़)। वल्लूर और झज्जर के मामले में भुगतान किया गया प्रोत्साहन शून्य था।

### 3.1.4.2 डीम्ड वितरित मात्रा पर पीआई का भुगतान

कम्पनी द्वारा भुगतान किये जाने वाले पीआई की राशि वर्ष के दौरान वितरित कोयले की मात्रा के आधार पर निकाली जाती है। 31 मार्च 2009 के बाद शुरू स्टेशनों हेतु एफएसए में निर्धारित है कि पीआई का डीम्ड वितरित मात्रा<sup>13</sup> (डीडीक्यू) पर भुगतान किया जाना था जिसमें वास्तव में स्टेशनों पर अवितरित तथा कम्पनी द्वारा वापस किया गया आयातित कोयला शामिल था। आयातित कोयले के अनुमानित वितरण हेतु पीआई देने से बिना किसी अनुपातिक लाभ के पावर स्टेशनों का व्यय बढ़ा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो स्टेशनों ने 2013-14 के दौरान ऐसे डीडीक्यू पर पीआई के प्रति ₹18.43 करोड़ (विन्ध्याचल- ₹5.86 करोड़ व रिहंद ₹12.57 करोड़) का भुगतान किया।

मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2016) कि एफएसए शर्तों पर वार्ताओं के दौरान एनटीपीसी ने इस बात पर जोर दिया कि पीआई वास्तविक सुपर्दगियों पर देय होना चाहिए परंतु सीआईएल राजी नहीं हुआ। मंत्रालय ने आगे बताया कि सीआईएल ने बाद में प्रावधान संशोधित कर दिया तथा 2014-15 से पीआई वास्तविक मात्रा पर ही देय है।

यद्यपि की गई सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा नोट किया गया है, तथा यह रह जाता है कि सुधार 2014-15 से किया गया है तथा विन्ध्याचल व रिहंद स्टेशनों द्वारा ₹18.43 करोड़ पीआई की (वर्ष 2013-14 से संबंधित) भुगतान किया गया था जिसकी एफएसए शर्तों में संशोधन से भी वसूली नहीं की जा सकती।

### 3.1.4.3 पीआई का अतिरिक्त भुगतान

एफएसए के अनुसार (पुराने और नए) पीआई हेतु उत्प्रेरक स्तर एसीक्यू का 90 प्रतिशत था। नये एफएसए (31 मार्च 2009 के बाद शुरू इकाईयों के लिये लागू) ने कोयला कम्पनियों द्वारा देय क्षतिपूर्ति की शुरुआत की यदि आपूर्ति एसीक्यू के 80 प्रतिशत से कम होती है। इस प्रकार, नये एफएसए के अनुसार, एसीक्यू के 80 और 90 प्रतिशत के बीच आपूर्ति

---

<sup>13</sup> 31 मार्च 2009 के बाद शुरू हुये स्टेशनों के लिये एफएसए के अनुसार, कोयला कम्पनियां अपनी न्यूनतम आपूर्ति आवश्यकताओं (एसीक्यू का 80 प्रतिशत) को पूर्ण करने के लिये कुछ प्रतिशत तक आयातित कोयला प्रदान कर सकती हैं। ऐसा सहमत आयातित घटक वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिये एसीक्यू का 15 प्रतिशत था, वर्ष 2015-16 में एसीक्यू का 13 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 के लिये एसीक्यू का 5 प्रतिशत था। एनटीपीसी के पास आयातित कोयले की ऐसी पेशकश को वापस करने का विकल्प था, ऐसा करने पर उसे डीम्ड वितरित मात्रा या डीडीक्यू के रूप में माना जा सकता था।

हेतु डेड बैंड था जो न तो प्रोत्साहन का भुगतान और न ही क्षतिपूर्ति की प्राप्ति को आवश्यक बनाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः स्टेशनों<sup>14</sup> में एक ही कोयला कंपनी में पुरानी और नई दोनों एफएसए परिचालन में थी। एनटीपीसी और सीआईएल में पुरानी और नई एफएसएज के प्रति आपूर्ति के आबंटन से संबंधित एक समझौता हुआ (12 मार्च 2013)। सीआईएल पुराने एफएसए के संबंध में एसीक्यू की 90 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति करेगा और नए एफएसए के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिबद्धता पूरी करने के बाद (एसीक्यू का 80 प्रतिशत) बकाया आपूर्ति, यदि कोई हो तो, पुराने एफएसए के प्रति प्रोत्साहन हेतु मानी जाएगी। इससे प्रभावी रूप से पता चलता है कि एनटीपीसी को नए एफएसएज में एसीक्यू के 80 प्रतिशत से अधिक आपूर्तियों के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संबंध में 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए चार स्टेशनों<sup>15</sup> द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन भुगतान ₹32.65 करोड़ था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि यह दो संस्थाओं के सीएमडी के बीच शीर्षस्थ बैठक में हुई वाणिज्यिक सहमति थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनटीपीसी और सीआईएल के बीच का समझौता एनटीपीसी के लिए अलाभकारी था। इसके अलावा एनटीपीसी द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय लाभार्थियों पर हस्तांतरित कर दिया गया है।

### 3.1.5 ईंधन आपूर्ति समझौते का कार्यान्वयन

जबकि एफएसए शर्तें निगम स्तर पर तय की गई थी, उसका कार्यान्वयन स्टेशन स्तर पर किया गया था। लेखापरीक्षा ने एफएसए के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाईं:

#### 3.1.5.1 मासिक और तिमाही अनुसूचित मात्राओं में अंतर

एसीक्यू को तिमाही निर्धारित मात्राओं अर्थात् पहली और तीसरी तिमाही में प्रत्येक एसीक्यू का 25 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 22 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 28 प्रतिशत में विभाजित किया गया था। तिमाही मात्रा को आगे मासिक अनुसूचित मात्रा में विभाजित किया गया था, जो कि तिमाही मात्रा का एक तिहाई है। एफएसएज में प्रावधान है कि मासिक तय मात्रा में 5 प्रतिशत तक का विचलन स्टेशन व कोयला कंपनी की लिखित सहमति से किया

<sup>14</sup> फरक्का, कहलगांव, सिम्हादरी, कोरबा, विंध्याचल और रिहन्द।

<sup>15</sup> रिहन्द-₹12.00 करोड़, विन्ध्याचल ₹8.08 करोड़, कहलगांव- ₹1.47 करोड़, फरक्का-₹9.29 करोड़, कोरबा-₹1.81 करोड़

जा सकता है किंतु किसी भी महीने में कुल अंतर किसी भी मामले में अनुसूचित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तिमाही तय मात्राओं हेतु, पुराने एफएसए में कोई अतिरिक्त आपूर्तियाँ अनुमत नहीं हैं, जबकि नए एफएसए में स्टेशन तथा कोयला कंपनी की लिखित सहमति से विचलन अनुमत है।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा नमूने में चयनित स्टेशनों के संबंध में अनुसूचित आपूर्तियों की तुलना में वास्तविक आपूर्तियों से संबंधित डाटा की जांच की और पाया कि स्टेशनों पर सुपुर्दगियों में काफी विभिन्नताएँ थी जिसका विवरण अनुबंध 3.1 में है। यह देखा गया कि सुपुर्दगियाँ बहुत कम मामलों में समय पर हुई थीं तथा सारे स्टेशनों में अधिकतम महीनों में आपूर्तियों का विचलन अनुमत स्तर से अधिक था।

एफएसएज़ में निर्दिष्ट ट्रिगर स्तर के नीचे वार्षिक आपूर्तियाँ होने की स्थिति में कोयला कंपनियों द्वारा कम सुपुर्दगी हेतु तथा पावर स्टेशनों द्वारा कम लिफ्टिंग हेतु मौद्रिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्तर्वर्षीय कमियां तब तक कोयला कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहन अर्जन को प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कोई वार्षिक कमी न हो। इसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी स्थिति पैदा होती है जहां स्टेशनों को कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानी उठाते हुए वर्ष में अतिरिक्त आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का भुगतान करना पड़ता था। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की समीक्षा से यह पता नहीं चला कि कम्पनी ने इस मामले को कोयला कम्पनियों के साथ उपाय तलाशने के लिए आगे बढ़ाया जबकि कम्पनी अन्तर्वर्ष/अस्थायी कमियों के कारण ई-निलामी, एमओयू और आयातों के माध्यम से कोयले को महंगे स्रोतों से लेने को मजबूर थी।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एनटीपीसी कोयला आपूर्तियों को नियमित आधार पर मानीटर करता है और कोयला कम्पनियों को आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिए लगातार कहा जाता था। मंत्रालय ने आगे बताया कि कोयले की कमी की स्थिति में, एनटीपीसी के पास इस धारा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और एनटीपीसी यह मामला पुनः कोयला कम्पनियों के साथ प्रस्तुत करेगा।

यह देखते हुए कि मासिक/तिमाही मात्राओं की कम आपूर्ति और विद्युत स्टेशनों पर ऐसी कम आपूर्ति से विशिष्ट प्रभाव के लिए एफएसए में कोई निवर्तक नहीं था इसलिए एफएसए में मासिक और तिमाही आपूर्तियों सहित निर्धारित मात्राओं की समय पर सुपुर्दगी लागू करने हेतु सुरक्षा उपाय प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

### 3.1.5.2 एफएसएज के तहत कम आपूर्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली न करना

एसीक्यू की 90 प्रतिशत से अधिक वार्षिक आपूर्ति के लिए पावर स्टेशनों द्वारा देय प्रोत्साहन तथा 80 प्रतिशत एसीक्यू से कम पर कोयला कम्पनियों से क्षतिपूर्ति वसूली की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) **बदरपुर पावर स्टेशन:** सीसीएल के साथ एफएसए के मामले में लेखापरीक्षा में कवर अवधि के सभी वर्षों में एसीक्यू की तुलना में कम सुपुर्दगी थी। स्टेशनों ने 2010-11, 2011-12, तथा 2013-14 हेतु ₹21.23 करोड़ की कम सुपुर्दगी क्षतिपूर्ति का दावा किया परंतु सीसीएल ने अति प्राकृतिक स्थितियों के कारण कम सुपुर्दगी का हवाला देते हुए दावा स्वीकार नहीं किया। ₹0.15 करोड़ का दावा (2011-12) स्टेशन द्वारा माफ कर दिया गया था और ₹21.08 करोड़ का दावा (2010-11 और 2013-14) माफी/सत्यापन के लिए विचाराधीन था। ₹10.37 करोड़ का दावा (2010-11 तथा 2011-12) स्टेशन द्वारा माफ कर दिया गया तथा वर्ष 2013-14 के लिए ₹10.86 करोड़ का दावा माफी हेतु विचाराधीन है (अक्टूबर 2016) तथापि, एकल वर्ष (2012-13) के लिए, सुपुर्दगी 90 प्रतिशत से अधिक थी और इसके लिए सीसीएल को ₹1.21 करोड़ का निष्पादन प्रोत्साहन जारी किया गया था। अतः एक तरफ बदरपुर स्टेशन एफएसए के प्रावधानों के अनुसार सीसीएल से कोयले की कम सुपुर्दगी के लिए ₹21.23 करोड़ (2010-11 से 2015-16) तक की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने में विफल रहा और उसी समय उसने सीसीएल को ₹1.21 करोड़ का निष्पादन प्रोत्साहन जारी किया।

(ii) **रामागुण्डम पावर स्टेशन :** साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और एमसीएल ने एसीक्यू का अनुपालन नहीं किया (एसईसीएल द्वारा 2013-14 में और एमसीएल द्वारा 2010-11 को छोड़कर) और कोयले की कम आपूर्ति की। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टेशन ने कोयले की कम आपूर्ति के लिए ₹35.18 करोड़ (2010-11 से 2015-16) की राशि की क्षतिपूर्ति का दावा किया, जिसे प्राप्त नहीं किया गया था (अक्टूबर 2016)। तथापि, स्टेशन ने 2015-16 और 2010-11 में अतिरिक्त आपूर्ति के लिए कोयला कम्पनियों को ₹126.87 करोड़ तक की राशि के निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान किया था। इसलिए कम सुपुर्दगी के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली किए बिना निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान सही नहीं था।

(iii) **झज्जर पावर स्टेशन :** 2013-14 और 2014-15 के दौरान एसीक्यू की तुलना में आपूर्ति घटा क्रमशः 69.89 प्रतिशत और 68.17 प्रतिशत था। स्टेशन द्वारा एमसीएल, जिसके साथ उसका एफएसए था, से ₹58.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि का दावा नहीं किया गया था।

(iv) **वल्लूर पावर स्टेशन:** 2013-14 से 2015-16 तक एमसीएल द्वारा कोयले की सुपुर्दगी का स्तर एसीक्यू से 36.31 प्रतिशत (2013-14), 48.07 प्रतिशत (2014-15) तथा 46.18 प्रतिशत (2015-16) कम था। हालांकि कम्पनी ने एमसीएल से कोई क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया है।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की कम सुपुर्दगी रेलवे से लदान हेतु रेकों के कम आबंटन के कारण थी, तथा इसलिए पावर स्टेशन क्षतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं थे। पीआई के भुगतान के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि यह भुगतान एफएसए संगत प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

उत्तर कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की कम आपूर्ति के कारण देता है। तथापि लेखापरीक्षा ने पावर स्टेशनों द्वारा कम आपूर्तियों के बावजूद कोयला कम्पनियों को प्रोत्साहन भुगतान मामला उजागर किया है चूँकि ईंधन के कम आपूर्ति का पावर स्टेशन के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

### 3.1.5.3 एफएसएज के अन्तर्गत मात्रा का रेशनलाईजेशन

बदरपुर स्टेशन का 2 लाख टन की एसीक्यू पर ईसीएल के साथ और 40 लाख टन के एसीक्यू के लिए सीसीएल के साथ एफएसएज थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीसीएल ने लेखापरीक्षा में कवर किए गए सभी वर्षों में कायले की लगातार कम आपूर्ति की थी (2012-13 को छोड़कर), जिससे सीसीएल से ₹21.23 करोड़ की क्षतिपूर्ति बनती थी। इसका दावा किया गया था, किन्तु स्टेशन द्वारा माफी के लिए विचाराधीन था। दूसरी तरफ, ईसीएल ने सभी पांच वर्षों में एसीक्यू से अधिक की आपूर्ति की थी और एनटीपीसी ने ईसीएल को इस अवधि के दौरान (2010-11 से 2014-15) ₹47.06 करोड़ के निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान किया था। तथापि, लेखापरीक्षा जांच में यह पता नहीं लगा कि एनटीपीसी ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए ईसीएल और सीसीएल के बीच मात्रा के पुनः विनियोजन के लिए मामला एससीएल-एलटी, कोयला मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि एनटीपीसी ने एसीक्यू के युक्तिकरण हेतु सीआईएल के साथ मामला उठाया तथा सीसीएल के साथ एसीक्यू सितम्बर 2016 में 4.00 से घटाकर 1.72 मिलियन एमटीपीए कर दिया गया है तथा बकाया मात्रा को अन्य स्टेशनों को आबंटित कर दिया गया है। मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि ईसीएल के साथ हुआ एफएसए रद्द कर दिया गया है।

मंत्रालय/एनटीपीसी द्वारा की गई कार्रवाई को तथा उसके परिणामस्वरूप हुआ आबंटन में सुधार नोट किया जाता है।

### 3.2 एमओयू के माध्यम से कोयले की अधिप्राप्ति

एफएसएज के अतिरिक्त, विद्युत स्टेशनों ने कोयले की आपूर्ति पूरी करने के लिए कोयला कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किये। एमओयू के माध्यम से कोयले की आपूर्ति एनसीडीपी के अन्तर्गत अधिदेशित नहीं थी जो एफएसए और ई-निलामी का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एफएसए के तहत अधिसूचित 40 प्रतिशत अधिकतम प्रोत्साहन की तुलना में भी, एमओयू अधिप्राप्ति के लिए उच्चतर प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा रहा था:

- एससीसीएल के साथ एमओयू के अन्तर्गत एनटीपीसी द्वारा स्वीकृत प्रीमियम ₹1600.64 करोड़ तक अधिक था (अप्रैल 2010 से मार्च 2016 के दौरान)
- ईसीएल के साथ एनटीपीसी के एमओयू (जनवरी 2014 से मार्च 2016) में ₹1433.19 करोड़ के प्रीमियम का प्रावधान था जबकि एनसीएल के साथ एमओयू में ₹394.45 करोड़ का प्रीमियम अनुमत था।

एमओयू करते समय, एनटीपीसी ने कोयले की आयातित दरों की तुलना की थी। तथापि, यह पाया गया कि कुछ मामलों में एमओयू के अन्तर्गत अधिप्राप्ति लागत आयातित कोयले की लागत से अधिक थी। यह तीन स्टेशनों में पाया गया अर्थात् सिम्हादरी, रामागुंडम और तलचेर कनिहा। इसके अलावा, जुलाई 2014 में, अन्य स्टेशनों अर्थात् बाढ़, मौदा, दादरी, कोरबा और सीपत के लिए आयात समानता मापदंड में आयातित कोयले की दरों में गिरावट का रुझान बताते हुए छूट दे दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप एमओयू के तहत उच्च लागत के कोयले की अधिप्राप्ति हुई।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि एमओयू कोयले के लिए प्रीमियम पिछली अवधि में ई-निलामी में कोयला कम्पनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमति पर निर्धारित किया गया था तथा इसलिए उसे केवल प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति के माध्यम से प्राप्त की गई कीमत माना गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वैकल्पिक रूप से एनटीपीसी कोयला कम्पनियों द्वारा आयोजित ई निलामी में भाग ले सकता था, किन्तु ऐसे मामलों में बोलियां प्राप्त करने का कोई आश्वासन नहीं था और इसलिए विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए अनिवार्य कोयला सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि विद्युत स्टेशन स्वदेशी कोयले के लिए डिजाइन किए गए थे और आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले को मिलाने में तकनीकी कठिनाईयाँ थी तथा उत्पादन की हानि से बचने के लिए

कुछ मामलों में कीमतें आयातित कोयले से अधिक होने के बावजूद स्टेशनों को स्वदेशी कोयले से काम चलाना पडा था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन कोयला कंपनियों के साथ एमओयूज किए गए हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि एमओयूज के मामले में कोई कीमत प्राप्त नहीं की गई थी और एमओयू अधिप्राप्ति के तहत देय प्रीमियम केवल वार्ता के माध्यम से निर्धारित किया गया था। काफी उच्चतर दरों पर सहमति जताते हुए, एफएसएज के अन्तर्गत अधिकतम प्रोत्साहन राशि पर विचार करते हुए भी विद्युत उत्पादन लागत में वृद्धि होगी जो अंततः उपभोक्ताओं को वहन करनी पड़ेगी। इसके अलावा, कोयला अधिप्राप्ति का एमओयू मार्ग एनसीडीपी में परिकल्पित नहीं था।

### 3.3 ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की अधिप्राप्ति

कम्पनी ने एफएसए के अन्तर्गत आपूर्ति पूरी करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की अधिप्राप्ति की। लेखापरीक्षा ने ई-नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा की और पाया कि ई-नीलामी में बोली के लिए एनटीपीसी द्वारा प्रयुक्त बेंचमार्क कीमत 5700 के कैल/कि.ग्रा. जीसीवी वाले आयातित कोयले की कीमत पर आधारित थी। कम्पनी ने नीलाम होने वाले कोयले की कीमत (प्रस्तावित कोयले के जीसीवी के अनुसार) इस आयात कीमत<sup>16</sup> के आधार पर तय की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-नीलामी में उपलब्ध कोयले की श्रेणी के लिए निकाली गई कीमत और वास्तविक आयात कीमत के बीच काफी अन्तर थे। ऐसी स्थिति में, दो परिस्थितियां उभर सकती हैं:

- जहां उपलब्ध कोयले की श्रेणी के लिए आयात कीमत निकाली गई कीमत से कम है, बोली राशि अधिक होगी और कम्पनी घटिया गुणवत्ता के कोयले के लिए उच्चतर राशि उद्घृत कर बोली प्राप्त कर लेगी।
- जहां आयात कीमत निकाली गई कीमत से अधिक है, कम्पनी बोली हार सकती है।

एनटीपीसी ने कहा (अप्रैल 2016) कि चूंकि अधिप्राप्त मात्रा काफी कम है, यह पूर्वानुमान एनटीपीसी के लिए ईंधन अधिप्राप्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के नोट किया (नवम्बर 2016)

<sup>16</sup> उदाहरण के लिए, यदि आयातित कोयले की उतारने की लागत 5700 जीसीवी पर ₹ 5589 प्रति एमटी थी, जीसीवी 1000 के कैल/कि.ग्रा. की आयातित कोयले की लैंड लागत ₹ 0.981 ली गई थी (5589 भाग 5700)। ई नीलामी के माध्यम से प्रस्तावित घरेलू कोयले की जीसीवी को ₹ 0.981 से गुणा करना और घरेलू और आयातित कोयले की कीमत के बीच समानता प्राप्त करने के लिए कीमत की गणना पीछे से की गई थी।